रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052021-226981 CG-DL-E-12052021-226981

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1723]

No. 1723]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 12, 2021/वैशाख 22, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 12, 2021/VAISAKHA 22, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

नई दिल्ली, 12 मई, 2021

आदेश

का.आ. 1850(अ).— जबिक, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गितविधि निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 23.02.2021 के पीडी-12001/12/2021- कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री अमनपुनीत सिंह कोहली, सुपुत्र श्री गुरमीत सिंह कोहली, निवासी ली ऑर्चिंड बिल्डिंग, 7वां तल, 15वीं रोड, जिमखाना ग्राउंड के सामने, खार पश्चिम मुंबई-52 को हिरासत में लिया जाए और बंगलौर केन्द्रीय जेल, पराप्पना अग्रहारा, बंगलौर, कर्नाटक, में रखा जाए तािक भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने द्वारा तस्करी के माल के अन्यथा लेन-देन से रोका जा सके।

- 2. जबिक, केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।
 - 3. अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

2610 GI/2021 (1)

हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, मुंबई, महाराष्ट्र सरकार के सामने उपस्थित हो।

[सं.पीडी-12001/11/2021 - कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

New Delhi, the 12th May, 2021.

ORDER

- **S.O. 1850(E).**—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/12/2021-COFEPOSA dated 23.02.2021 under the said sub-section directing that Shri Amanpuneet Singh Kohli, S/o Shri Gurmeet Singh Kohli, R/o Le Orchid Building, 7th Floor, 15th Road, Opp. Gymkhana Ground, Khar West Mumbai-52 be detained and kept in Bangalore Central Jail, Parappana Agrahara, Bangalore, Karnataka with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.
- 2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.
- 3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Mumbai, Government of Maharashtra within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[No. PD-12001/12/2021-COFEPOSA] RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.